2026:CGHC:21480

अप्रतिवेद्य

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

विविध अपील (प्रतिकर) क्रमांक–2470/2024

1. दिनेश कुमार यादव, पिता–रमेश यादव, आयु लगभग 38 वर्ष, पेशा–वाहन चालक, निवासी–वार्ड क्रमांक–08, शांतिनगर, कुम्हारी, जिला–दुर्ग (छत्तीसगढ़) (दोषी वाहन कार क्रमांक–सी.जी.–02–7498 का **वाहन चालक**)

-----अपीलार्थी

विरूद्ध

1. श्रीमती रूपा यादव, पति–स्वर्गीय मदललाल यादव, आयु–लगभग 53 वर्ष, पेशा–गृहणी,
2. कुमारी दीप्ति यादव, पिता–स्वर्गीय मदनलाल यादव, आयु–लगभग 30 वर्ष, पेशा–गृहणी, **दोनों निवासी**–मकान नंबर–185/1, वार्ड क्रमांक–21, बैंक ऑफ इण्डिया के पास, दिग्विजय कॉलेज रोड, जमातपारा, पुलिस थाना–बसंतपुर, राजनांदगांव (छत्तीसगढ़),
3. मंजूषा यादव, पिता–स्वर्गीय मदनलाल यादव, आयु लगभग 35 वर्ष, पेशा–गृहणी, निवासी–द्वारा पति घनश्याम यादव, मकान संख्या–एच/06, सिविल लाईन पूर्व धमतरी (छत्तीसगढ़), **(दावाकर्तागण)**
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य शहरी विकास अभिकरण, महानदी भवन, नवा रायपुर (छत्तीसगढ़), (दोषी वाहन कार क्रमांक–सी.जी.–02–7498 का **पंजीकृत स्वामी**)
5. सतीश वर्मा पिता–ओंकार लाल वर्मा, आयु–लगभग 66 वर्ष, कादम्बरी नगर दुर्ग (छत्तीसगढ़) प्रोजेक्ट मैनेजर, PMAY राज्य शहरी विकास अभिकरण, महानदी भवन, नवा रायपुर (छत्तीसगढ़) (दोषी वाहन कार क्रमांक–सी.जी.–02–7498 का **पंजीकृत स्वामी**)

-----अनावेदकगण

POMAN DEWANGAN
Digitally signed by POMAN DEWANGAN
Date: 2026.05.08 11:17:58 +0530

अपीलार्थी द्वारा	:	श्री सात्विक तिवारी, अधिवक्ता ।
अनावेदक क्रमांक–1 से 3 द्वारा	:	सुश्री स्वेच्छा शर्मा, अधिवक्ता ।
अनावेदक क्रमांक–4 से 5 द्वारा	:	श्री पंकज अग्रवाल, अधिवक्ता की ओर से श्रीमती स्वाति अग्रवाल, अधिवक्ता ।

एवं

विविध अपील (प्रतिकर) क्रमांक–59/2025

1. श्रीमती रूपा यादव, पति–स्वर्गीय मदललाल यादव, आयु–लगभग 53 वर्ष,
2. कुमारी दीप्ति यादव, पिता–स्वर्गीय मदनलाल यादव, आयु–लगभग 30 वर्ष,
   दोनों निवासी–मकान नंबर–185/1, वार्ड क्रमांक–21, बैंक ऑफ इण्डिया के पास, दिग्विजय कॉलेज रोड, जमातपारा, पुलिस थाना–बसंतपुर, राजनांदगांव (छत्तीसगढ़),
3. मंजूषा यादव, पिता–स्वर्गीय मदनलाल यादव, आयु लगभग 35 वर्ष, निवासी–द्वारा पति घनश्याम यादव, मकान संख्या–एच/06, सिविल लाईन पूर्व धमतरी (छत्तीसगढ़)

-----अपीलार्थीगण/दावाकर्तागण

विरूद्ध

1. दिनेश कुमार यादव, पिता–रमेश यादव, आयु लगभग 38 वर्ष, पेशा–वाहन चालक, निवासी–वार्ड क्रमांक–08, शांतिनगर, कुम्हारी, जिला–दुर्ग (छत्तीसगढ़)
   (दोषी वाहन कार क्रमांक–सी.जी.–02–7498 का **वाहन चालक**)
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य शहरी विकास अभिकरण, महानदी भवन, नवा रायपुर (छत्तीसगढ़), (दोषी वाहन कार क्रमांक–सी.जी.–02–7498 का **पंजीकृत स्वामी**)
3. सतीश वर्मा पिता–ओंकार लाल वर्मा, आयु–लगभग 66 वर्ष, कादम्बरी नगर दुर्ग (छत्तीसगढ़) प्रोजेक्ट मैनेजर, PMAY राज्य शहरी विकास अभिकरण, महानदी भवन, नवा रायपुर (छत्तीसगढ़) (दोषी वाहन कार क्रमांक–सी.जी.–02–7498 का **पंजीकृत स्वामी**)

-----उत्तरवादीगण

अपीलार्थीगण/दावाकर्तागण द्वारा	:	सुश्री स्वेच्छा शर्मा, अधिवक्ता ।
अनावेदक क्रमांक–1 द्वारा	:	श्री सात्विक तिवारी, अधिवक्ता ।
अनावेदक क्रमांक–2 से 3 द्वारा	:	श्री पंकज अग्रवाल, अधिवक्ता की ओर से श्रीमती स्वाति अग्रवाल, अधिवक्ता ।

न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार जायसवाल

!! निर्णय पीठ पर पारित !!

07/05/2026

1. उपरोक्त दोनों अपीलें एक ही दुर्घटना एवं अधिनिर्णय से संबंधित होने के कारण इनका निराकरण संयुक्त रूप से किया जा रहा है ।

2. मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 173 के अंतर्गत प्रस्तुत उपरोक्त अपीलों में चतुर्थ अपर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, दुर्ग, जिला–दुर्ग (छत्तीसगढ़) द्वारा मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण क्रमांक–213/2022, "श्रीमती रूपा यादव **विरुद्ध** दिनेश कुमार यादव वगैरह" में पारित अधिनिर्णय दिनांक 23/09/2024 को चुनौती दी गई है, जिसे आगे संक्षेप में "प्रश्नाधीन अधिनिर्णय" से संबोधित किया जा रहा है ।

3. प्रकरण के तथ्य, संक्षेप में, इस प्रकार हैं कि राजेन्द्र यादव (मृतक) दिनांक 31/10/2021 को रात्रि लगभग 12:00 बजे अपनी मोटर सायकल, हीरो होण्डा, में दुर्ग से अपने घर राजनांदगांव वापस आ रहा था । अंजोरा मार्ग पर ग्राम महमरा मोड़ के पास जेस्ट कार क्रमांक सी.जी.–02–7498 (जिसे आगे "दोषी वाहन" से संबोधित किया जा रहा है) को उसके चालक दिनेश कुमार यादव द्वारा तेज एवं लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए लाया गया, जिससे उक्त वाहन की टक्कर से राजेन्द्र यादव को गंभीर चोटें आईं । उपचार

के दौरान दिनांक 01/11/2021 को अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई । उक्त घटना के संबंध में चौकी अंजोरा, थाना पुलगांव, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ में अपराध पंजीबद्ध किया गया ।

4. मृतक राजेन्द्र यादव की आयु घटना के समय 33 वर्ष थी । वह सीमर इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, पावर प्लांट, रायगढ़, छत्तीसगढ़ में इंजीनियर के पद पर कार्यरत था तथा प्रतिमाह 30,000/– रुपये की आय अर्जित करता था । दावाकर्तागण, जो क्रमशः मृतक की माता एवं बहनें हैं, द्वारा धारा 166 मोटर यान अधिनियम, 1988 के अंतर्गत दावा आवेदन प्रस्तुत किया गया । उक्त दावा आवेदन पर विचार करते हुए अधिकरण द्वारा "प्रश्नाधीन अधिनिर्णय" के तहत यह तो पाया गया कि दुर्घटना के परिणामस्वरूप राजेन्द्र यादव की मृत्यु हुई थी, किंतु योगदायी उपेक्षा का तथ्य प्रमाणित नहीं पाया गया । अधिकरण ने यह भी प्रमाणित नहीं पाया कि दोषी वाहन का स्वामी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य शहरी विकास अभिकरण, था । फलस्वरूप, अधिकरण द्वारा केवल दोषी वाहन के चालक दिनेश यादव के विरुद्ध 16,13,600/– रुपये की क्षतिपूर्ति राशि, मय ब्याज, अधिनिर्णीत की गई ।

वाहन चालक पक्ष की विविध अपील (प्रतिकर) क्रमांक–2470/2024

5. अपीलार्थी, वाहन चालक दिनेश यादव, की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने अंतरिम आवेदन क्रमांक–02/2025, जो आदेश 41 नियम 27 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है, पर तर्क प्रस्तुत किया है कि उनके द्वारा दोषी वाहन के बाबत प्रतिवेदन प्रस्तुत की गई है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य शहरी विकास अभिकरण/सतीश वर्मा, उक्त वाहन के स्वामी एवं सक्षम प्राधिकारी

हैं। यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि चूंकि अधिकरण द्वारा उन्हें दोषी वाहन का पंजीकृत स्वामी नहीं माना गया है, ऐसी परिस्थिति में उक्त दस्तावेज को अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में अभिलेख पर लिया जाना आवश्यक है तथा "प्रश्नाधीन अधिनिर्णय" को अपास्त करते हुए प्रकरण को पुनः विचारण हेतु प्रतिप्रेषित किया जाए।

6. उक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य शहरी विकास अभिकरण/सतीश वर्मा की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया है कि अधिकरण के समक्ष वे एकपक्षीय रहे थे तथा अब दोषी वाहन के पंजीकृत स्वामी के रूप में प्रकरण में अपनी प्रतिरक्षा प्रस्तुत करना चाहते हैं। अतः प्रकरण को पुनः विचारण हेतु प्रतिप्रेषित किए जाने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

दावाकर्ता पक्ष की विविध अपील (प्रतिकर) क्रमांक-59/2025

7. इस अपील में अपीलार्थी दावाकर्तागण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने अंतरिम आवेदन क्रमांक-01/2025, जो आदेश 41 नियम 27 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है, पर तर्क प्रस्तुत किया है कि मृतक राजेन्द्र यादव की आय के संबंध में विचारण के दौरान जो वेतन प्रमाणपत्र प्रदर्श पी-20 के रूप में प्रस्तुत किया गया था, उसे अधिकरण द्वारा इस आधार पर साक्ष्य में ग्राह्य नहीं किया है कि उसके जारीकर्ता का साक्ष्य नहीं कराया गया है। ऐसी परिस्थिति में मृतक की आय विधिवत रूप से प्रमाणित नहीं हो सकी है। इस संबंध में उन्होंने मृतक की 03 माह की वेतन पर्चियां अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि उन्हें अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाए तथा "प्रश्नाधीन अधिनिर्णय" को अपास्त करते हुए प्रकरण को पुनः विचारण हेतु अधिकरण को प्रतिप्रेषित किया जाए।

8. उभयपक्ष के तर्क श्रवण किए गए तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया ।

9. आदेश 41 नियम 27 व्यवहार प्रक्रिया संहिता, के प्रावधान निम्नवत हैः–

"27. **अपील न्यायालय में अतिरिक्त साक्ष्य का पेश किया जाना– (1)** अपील के पक्षकार अपील न्यायालय में अतिरिक्त साक्ष्य चाहे वह मौखिक हो या दस्तावेजी, पेश करने के हकदार नहीं होंगे, किंतु यदि–

(क) उच्च न्यायालय ने जिसकी डिक्री की अपील की गई है, ऐसे साक्ष्य ग्रहण करने से इन्कार कर दिया हे जो ग्रहण किया जाना चाहिए था, अथवा

[(कक) वह पक्षकार जो अतिरिक्त साक्ष्य पेश करना चाहता है यह सिद्ध कर देता हे कि वह सम्यक् तत्परता का प्रयोग करे के बावजूद ऐसे साक्ष्य की जानकारी नहीं रखता था या उसे उस समय पेश नहीं कर सकता था जब वह डिक्री पारित की गई थी जिसके विरूद्ध अपील की गई है, अथवा]

(ख) अपील न्यायालय किसी दस्तावेज के पेश किए जाने की या किसी साक्षी की परीक्षा की जाने की अपेक्षा या तो स्वयं निर्णय सुनाने के समर्थ होने के लिए या किसी अन्य सारवान् हेतुक के लिए करे,

तो अपील न्यायालय ऐसे साक्ष्य का लिया जाना या दस्तावेज का पेश किया जाना या साक्षी की परीक्षा का किया जाना अनुज्ञात कर सकेगा ।

(2) जहाँ कहीं अतिरिक्त साक्ष्य पेश करने के लिए अपील न्यायालय अनुज्ञा दे देता है वहाँ न्यायालय ऐसे साक्ष्य के ग्रहण किए जाने के कारणों को लेखबद्ध करेगा ।"

10. अभिलेख के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि उभयपक्ष द्वारा प्रकरण में अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने का निवेदन करते हुए प्रकरण को प्रतिप्रेषित किए जाने की प्रार्थना की गई है । अधिकरण द्वारा वेतन प्रमाणपत्र को प्रदर्श चिन्हांकित किया गया किंतु साक्ष्य के रूप में ग्राह्य नहीं किया गया । ऐसी परिस्थिति में प्रकरण के तथ्य एवं उपलब्ध साक्ष्य की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए, तथा यह पाते हुए कि मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण में प्रतिकर संबंधी

इस दावे का समुचित एवं न्यायोचित निराकरण किया जा सके, उचित प्रतिकर राशि अधिनिर्णीत की जा सके तथा वास्तविक रूप से उत्तरदायी व्यक्तियों का निर्धारण किया जा सके। इस बाबत उभयपक्ष द्वारा आदेश 41 नियम 27 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किए जाने योग्य पाए जाते हैं।

11. अतः दोनों अंतरिम आवेदन स्वीकार किए जाते हैं। फलस्वरूप, "प्रश्नाधीन अधिनिर्णय" अपास्त किया जाता है। प्रकरण को पुनः विधिवत निराकरण हेतु अधिकरण को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष द्वारा आदेश 41 नियम 27 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रस्तुत दस्तावेजों को अभिलेख पर लिया जाए। साथ ही, कथित दोषी वाहन के स्वामी के रूप में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य शहरी विकास अभिकरण/सतीश वर्मा को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाए, तत्पश्चात् उभयपक्ष को विधिवत अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण का विधि अनुसार यथाशीघ्र निराकरण किया जाए।

12. उभयपक्ष को निर्देशित किया जाता है कि अधिकरण के समक्ष दिनांक–29/06/2026 को 11.00 बजे अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहें।

13. उपरोक्तानुसार, दोनों अपील का निराकरण किया जाता है।

14. आदेश की प्रति के साथ अधिकरण का अभिलेख शीघ्रतापूर्वक आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ व पालनार्थ वापस प्रेषित हो।

सही/–

(संजय कुमार जायसवाल)

न्यायाधीश

पोमन